

681

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 396/2022

IN THE MATTER OF:

GOPAL CHANDRA VANWASSI

...PETITIONER

VERSUS

STATE OF UTTRAKHAND AND ORS.

...RESPONDENTS

**RESPONSE ON BEHALF OF M/S NEW RAMNAGAR STONE CRUSHER-
RESPONDENT NO. 11**

Filed By



ANIRUDDHA DESHMUKH
ADVOCATE FOR THE RESPONDENT
I-11, 1ST FLOOR, JANGPURA EXTENSION
NEW DELHI-110014
MOB-9971633944
EMAIL-aniruddha@smarth.in

New Delhi

Dated: 25.03.2023

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 396/2022

IN THE MATTER OF:

GOPAL CHANDRA VANWASSI

...PETITIONER

VERSUS

STATE OF UTTRAKHAND AND ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

Sl. No	Description	Page Nos.
1.	Response of the Respondent No. 11	1-9
2.	Annexure A1 A copy of the proceedings dated 24.04.1993 registering the Respondent No. 11 with the Pollution Control Board	10-18
3.	Annexure A2 A copy of the CCA dated 12.08.2022	19-25
3.	Annexure A3 A copy of the permission/approval dated 17.08.2021 to continuing crushing operations	26-28
4.	Annexure A4 A copy of the Uttarakhand Crusher Policy 2021 and its amendment	29-73
5.	Annexure A5 A copy of the photographs showing the green belt	74-77
6.	Annexure A6 A copy of the photographs of the wind breaking wall	78
7.	Annexure A7 A copy of the photographs of the stacked material	79
8.	Annexure A8 A photograph showing the stack height of the DG Set	80
9.	Annexure A9 A copy of the photographs showing the systems in place to control air pollution	81-88
10.	Annexure 10 Latest water bill of the State Water Resources Department	89
11	Annexure A11 A copy of the log book of water usage	90-94

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 396/2022

IN THE MATTER OF:

GOPAL CHANDRA VANWASSI

...PETITIONER

VERSUS

STATE OF UTTRAKHAND AND ORS.

...RESPONDENTS

**RESPONSE ON BEHALF OF M/S NEW RAMNAGAR STONE CRUSHER-
RESPONDENT NO. 11**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

- A. The present response is being filed on behalf of the Respondent No. 11, consequent to the order of this Hon'ble Tribunal dated 08.02.2023.
- B. It is submitted at the outset itself that as on date, the Respondent No. 11 is following all the norms and regulations relating to establishment and operation stone crusher unit in the State of Uttarakhand. The compliance of the Respondent No. 11 has been noted by the UK State Pollution Control Board vide its affidavit dated 07.02.2023.
- C. It is submitted that the present proceedings arise consequent to the Report filed by the State PCB. In the Report filed by the State PCB, certain deficiencies were highlighted, consequent to which the Respondent No. 11 was issued a show cause notice dated 27.08.2022.

D. It is submitted that instead of contesting the said show cause notice at that stage, and instead of filing a response before this Hon'ble Tribunal at that stage, the Respondent No. 1 however took remedial steps, in accordance with the show cause notice to ensure that no damage to the environment was caused. It is submitted that the factum of such compliance has been recorded in the aforementioned affidavit of the State PCB. It is therefore submitted that as on date there is no violation of the norms/regulations.

E. It is submitted however as follows:

- a. That the unit was established in 1984.
- b. The unit was working on a very irregular basis from 1984 to 1993. It is submitted that the unit was set up on land provided by the railways and used to initially supply the aggregate only to the railways for construction.
- c. The Respondent No. 11 being aware of its obligations to the environment therefore applied to the erstwhile UP State Pollution Control Board for Registration. The said registration was granted to the Respondent No. 11 by the District Screening Committee of the UP SPCB. It is submitted that this registration was granted consequent to an inspection of the unit where no adverse remarks were noticed. This was followed by a formal approval letter dated 24.04.1994 issued by the UP SPCB since then the unit was running in compliance with all the rules and regulations and in the interregnum period no adverse remarks

were found against the Respondent No. 11. A copy of the proceedings dated 24.04.1993 is hereby annexed as **Annexure A1.**

- d. It is submitted that thereafter from time to time the Respondent No. 11 has been taking consent from the Pollution Control to Operate and the last consent was applied for 03.06.2022 which was granted initially as Provisions Consolidated Consent and Authorisation, however on 12.08.2022 the Respondent No. 11 has been granted a CCA that is now valid till 31.03.2027. A copy of the CCA dated 12.08.2022 is hereby annexed as **Annexure A2.**
- e. It is submitted that in 2008 the State introduced the stone crusher policy laying down certain norms and regulations to be followed, which norms too the unit was complying with from time to time.
- f. It is submitted that in 2021 the updated stone crusher policy was introduced by the State Government consequent to which a revised permission/consent to operate a stone crusher/screening plant was issued to the Respondent No. 11 vide Letter No. 1344/VII-A-1/2021-3(93)/21 dated 17.08.2021. Vide this numerous terms and conditions were imposed upon the Respondent No. 11. A copy of the permission/approval dated 17.08.2021 is hereby annexed as **Annexure A3.**

A. Siting/Location Norms are not applicable to the unit being an exempt unit.

- a. It is submitted that the Respondent No. 11 was established a time when there were no siting norms, in terms of distance to be maintained from certain zones/units of residence etc. hence in accordance with the policy the unit is exempt from the siting norms introduced after the unit was established.
- b. It is submitted that the only requirement is to maintain a 6 Mts. Distance which the unit complies with. A copy of the Utrakhand Crusher Policy 2021 and its amendment is hereby annexed as **Annexure A4**

B. Green Belt is in existence and the show-cause notice requires to be set aside to that extent

- a. It is submitted that the unit has already established a sufficient green belt along the unit and the size of the trees and the height shows that the trees are old and that therefore the unit is following the norms and regulations. It is submitted that the green belt in accordance with the 2021 policy has been established as is evident from the younger trees on the outside to the boundary wall of the unit, and much taller and thicker trees growing from inside the boundary of the unit. A copy of the photographs showing the green belt are hereby annexed as **Annexure A5.**

- b. It is submitted that therefore the Objection No. 2 as raised by the State PCB in the consequent Show Cause Notice dated 27.08.2022 is required to be dismissed, since it is not possible that the Respondent No. 11 can establish such a thick green belt within a span of a year or two. It is submitted that the unit had a green belt around it which is sufficient to contain fugitive emissions from the unit during operation. It therefore humbly prayed that the said Objection No. 2 may not be held against the Respondent.
- c. It is submitted that it is inexplicable as to how the Objection no. 2 was even raised, because the inspection conducted consequent to orders of this Hon'ble Tribunal recorded that the unit had a green belt along the boundary. It is therefore evident that even prior to issuance of show cause notice itself, it was ground that the green belt existed, despite which the Show Cause Notice was issued to the Respondent No. 11.
- d. It is submitted that the show cause notice therefore suffers from a patent non-application of mind and is contrary to the own inspection of the State PCB itself.
- e. It is submitted therefore the Show Cause notice dated 27.08.2022 may kindly be set aside to that extent.

C. Height of the Breaking Wall

- a. During the inspection it was specifically found that the breaking wall height of 10-12 feet was found all along the unit.

- b.** That it is submitted despite such a finding in the show cause notice dated 27.08.2022 without any basis in fact, and without even seeking to ascertain the ground position it has been stated that the breaking wall height is not as per the 2021 policy.
- c.** It is submitted that the 2021 policy introduced the “height of the breaking wall” requirement vide an amendment to the Stone Crusher Policy on 19.01.2021. It is submitted that vide the change an amendment was brought about to specify that the height of the wind breaking wall should 1 meter more than the height to which the material is stacked.
- d.** In that regard it is submitted that the Respondent No. 11 has always maintained a wind breaking wall height of 10 feet, and the material is stacked to the average of 6 feet maximum. It is submitted that that leaves 4 feet balance, which is sufficient to comply with the norms. However as is evident, the Respondent No. 11 has also put up tin sheets which are approximately 5 feet in height to further increase the height so as to ensure that the dust etc. does not escape. A copy of the photographs of the wind breaking wall are hereby annexed as **Annexure A6**.

D. Violation of Stack Height of raw material

- a.** During the inspection the State PCB found that the stacking of raw material and other material found to be in excess of the permissible stack height.

- b. For this violation the unit was fined Rs. 2 Lakhs and has already deposited the said fine with the State PCB, which fine even the inspection report finds has been deposited. It is submitted that therefore for this violation the Petitioner has been penalised and therefore to raise this objection again as Objection No. 6 is neither justified nor permissible.
- c. It is submitted that the unit cannot be penalised/punished twice for the same offence.
- d. In any event the Respondent No. 11 states that consequent to the issuance of the show cause notice and the payment of the fine, the Respondent No. 11 has been taking steps to ensure that the material is not stacked higher than the height of the wind breaking wall. A copy of the photographs is hereby annexed as **Annexure A7**.

E. Stack of the 500 KVA DG Set installed at site.

- a. It is submitted that the Respondent No. 11 has installed a 500 KVA DG Set to be used in the case of breakdown of electricity supply.
- b. As per the CCA the stack height for the Generator is required to 6 Mts which is 18 feet.
- c. It is submitted that at present there is no pucca building as such, apart from a shed, and the DG Set itself is installed on the ground. It is submitted that the Respondent has provided a stack height of 20 feet, which complies with the requirement

of the CPCB Norms. A photograph showing the stack height of the DG Set is hereby annexed as **Annexure A8**.

F. Non-Provision of Interlocking Manufacturing Process and operation of air pollution control systems.

a. It is submitted that the inspection report submitted to this Hon'ble Tribunal states that the pollution control/emission control equipment was found to be installed as well as functional. However, it was observed that the interlocking of the manufacturing process has not be provided for.

b. It is submitted that the same objection was also raised in the Show-Cause Notice. It is submitted that the Respondent No. 11 has already provided for the said interlocking systems and also provided for sufficient control systems for pollution and emissions. Hence it is submitted that the aforesaid objection of the State Pollution Control Board may also be rejected. A copy of the photographs showing the systems in place is hereby annexed as **Annexure A9**.

G. No Ground water permission and no log book

a. It is submitted that the Respondent No. 11 has a water connection from the State Water Resources Department and the latest water bill is hereby annexed as **Annexure A10**.

b. It is submitted that that the Respondent No. 11 does not use any groundwater at all. It is submitted that even for usage of such water the Respondent No. 11 maintains a log book. It is

submitted that the Department charges the Respondent No. 11 for a fixed 20,000 KL a month. A copy of the log book of water usage is hereby annexed as **Annexure A11**.

- c. Therefore, it is submitted that the observation in the inspection report as well as the show cause notice that the Respondent No. 11 is using ground water without permission is incorrect and without any application of mind whatsoever, and hence requires to be set aside.

In light of the fact that the Respondent No. 1 is fully compliant with the law and the various rules and regulations, the proof of which the Respondent No. 11 has now independently placed before this Hon'ble Tribunal, the present proceedings in so far as they pertain to the Respondent No. 11 may be closed and appropriate order may be passed.

Filed By

Partner

ANIRUDDHA DESHMUKH
ADVOCATE FOR THE RESPONDENT
I-11, 1ST FLOOR, JANGPURA EXTENSION
NEW DELHI-110014
MOB-9971633944
EMAIL-aniruddha@smarth.in

New Delhi
Dated: 25.03.2023



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :- आदर्श नगर, कालाढुंगी रोड, हल्द्वानी [नैनीताल] पिन-263 139

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office : Adarsh Nagar, Kaladhungi Road, HALDWANI [Nainital] pin- 263 139

पत्रांक/Ref.....

527
30/4

दिनांक/Date..... 24/4/93
Wm. Prasad Singh
Secretary
24/4/93

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जिला- नैनीताल ।

विषय:- भारतीय न्यू रामगढ़ स्टोन कम्पनी, रामगढ़ के सम्बन्ध में ।

गहोदया,

कृपया प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.3.93 की बैठक की कार्यवृत्ति के पैरा 7 पर निर्दिष्ट उपरोक्त उद्योग के प्रकरण पर अपने निर्देशों का सन्दर्भ लेना चाहेंगे।

उपरोक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा किये जाने पर यह पाया गया है कि उद्योग में वर्ष 1984 से उत्पादन कार्य चल रहा है। राज्य विभाग द्वारा स्टोन क्वार की स्थापना किये जाने हेतु तीस पर दी गई भूमि पर यह उद्योग लगाया गया है। उद्योग वर्ष 1984 में उत्पादन प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। उद्योग प्रतिनिधि ने सूचित किया है कि उन्हें उक्त समय अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता का ज्ञान नहीं था, और न ही उद्योग विभाग द्वारा ऐसी कोई शर्त स्थापित पंजीकरण में आरोपित की गई थी।

उद्योग का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि उद्योग से जल प्रदूषण की सम्भावना नगण्य है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उद्योग द्वारा जल स्त्रोत आदि को व्यवस्था कर ली गई है, परन्तु उद्योग के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास अभी नहीं किया गया है, अतः उद्योग को चारों ओर हरित पट्टिका का विकास अविलम्ब पूर्ण किये जाने एवं समय-समय पर एम्बेन्ट एयर मॉनिटरिंग करा कर रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

उद्योग द्वारा दिनांक 16.3.93 को इस कार्यालय में सहमति जल एवं वायु हेतु आवेदन किया है। चूंकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं० सी-29014/1/90/पीसीआई-1/17814 एवं 17881 दिनांक 21.10.92 के माध्यम से जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 186 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 184 के अधीन जारी निर्देशों के अनुसरण में सत्सम्बन्धी विज्ञप्ति के अनुसार चूंकि उद्योग लघु श्रेणी का है। तथा विज्ञप्ति में उल्लेखित 17 प्रकृति के उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है। अतः इस उद्योग का सहमति विषयक प्रकरण तदनुसार निवेदित कर दिया गया है, एवं अलग से सहमति आवेदन जारी नहीं किया जाना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योग से यह भी निर्देश दिये जा रहे हैं कि उद्योग द्वारा जल/वायु/ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित कार्यवाही करें। अन्यथा बोर्ड द्वारा आवश्यक कड़ात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त आख्या आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्पर प्रेषित।

क्रमांक:- 2 पर जारी

-- 2 --

भवदीय,

725/एन-18/93

१ पद प्रकाश १
धनीय अधिकारी,

प्रतिलिपि: - सामान्य प्रबंधक कृषि उद्योग केन्द्र हल्द्वारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

धनीय अधिकारी,

1547-1622

पत्रांक

/69/27/प्रदूषण/कार्यशाला

उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश,
अनुभाग - 27

कानपुर: दिनांक: फरवरी 4, 1993 ।

- 1- समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशांक उद्योग ।
- 2- समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ।

जल निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम 1974 एवं वायु निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम 1981 के अन्तर्गत उद्योगों को सहमति सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने विषयक सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, विभूति छाण्ड, पकिप, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ से प्राप्त पत्रांक 710/37/93/1/स.आर.एन. दिनांक 18-1-1993 एवं पत्रांक 711/37/93/2/स.आर.एन. दिनांक 18-1-1993 एवं इन पत्रों में संदर्भित केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का पत्रांक बी-29014/1/90/पी.सी.आई.-1/17881 दिनांक 21-10-1992 को प्रतिलिपि संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार प्रदूषण नियन्त्रण कानूनों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कराने को कृपा करें ।

संलग्नक-यथोपरोक्त ।

पृ. संख्या 1623-1639/यथोपरोक्त

उपरोक्त की प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्यालय के समस्त अनुभागीय अधिकारी ।
- 2- सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, विभूति छाण्ड, पकिपभवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि पत्रांक 710/37/93/1/स.आर.एन. दिनांक 18-1-1993 में संदर्भित केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का पत्रांक 29014/1/90/पी.सी.आई.-1/17814 दिनांक 21-10-1992 को एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाने को कृपा करें ।

संयुक्त निदेशांक उद्योग उ.प्र.
कृते आयुक्त एवं निदेशांक उद्योग उ.प्र.
तदिनांक 4-2-93

दिनांक 24-5-93 को सम्बन्ध जिला प्राधिकृत समिति की बैठक की कार्यवृत्ति:-

- उपस्थिति:-
- 1-श्री रमारमन, अर्डीएसएसओ, मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल ।
 - 2-श्री एसएसओआनम, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हलदानी ।
 - 3-श्री सुबोध कुमार सक्सेना, उप प्रबन्धक, यूपीएसआईडीसी, बरेली ।
 - 4-डा०पी०सी०शर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हलदानी ।
 - 5-श्री एसके०मन्त, औद्योगिक निरीक्षक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
 - 6-श्री आर०पी०गुप्ता, उप वरिष्ठ प्रबन्धक, यू०पी०एस०सी०, हलदानी ।
 - 7-श्री धीरेन्द्र वर्मा, जिला आवकारी अधिकारी, नैनीताल ।
 - 8-श्री के०एस०बेरा, विद्युत् अधिकारी, नैनीताल ।
 - 9-श्री एस०एस०मेहरा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, हलदानी ।
 - 10-श्री रवीन्द्र सिंह, अग्निशामन अधिकारी, हलदानी ।
 - 11-श्री रन०ती०पाण्डे, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत्, नैनीताल ।

अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों का स्वागत करते हुये महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हलदानी द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार वर्तमान बैठक के खेन्डा के तार्थ- अतिरिक्त खेन्डा नोट भी सभी सदस्यों को बैठक के पूर्व प्रेषित किया जा चुका है ताकि सदस्यगण बैठक के विषयवस्तु के सम्बन्ध में पूर्व से अवगत होकर उचित स्म से विचारविमर्श में भाग लेकर सभित को निर्णय लेने में प्रभावी योगदान दे सकें। बहुपरान्त अध्यक्ष महोदय के अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसकी खेन्डावार स्थिति निम्न प्रकार है:-

विगत बैठक दिनांक 26-3-93 की कार्यवाही की पुष्टि:-

सदस्य-सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि विगत बैठक की कार्यवृत्ति पत्र संख्या 7081-82 दिनांक 29-3-93 से समस्त सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। अतः सभी सदस्यों की सहमति एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

विगत बैठक में लिये गये निर्णयों की समीक्षा:-

॥ औद्योगिक इकाईयों को विद्युत् भार की स्वीकृति-

विगत बैठक में 5 आवेदकों को विद्युत् भार स्वीकृत किया गया था, जिसकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विगत बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि औद्योगिक इकाईयों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के आवेदन पत्रों पर विचार करने हेतु जिला प्राधिकृत समिति के क्षेत्र अधिकार के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड, नैनीताल, नोडल अधिकारी, विद्युत् परिषद से स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे किन्तु इस बिन्दु पर कृत कार्यवाही की सूचना अभी भी अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि अनुमालन से तुरन्त विजली विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया जाय।

कार्यवाही अधिशासी विद्युत् वितरण खण्ड, नैनीताल
नोडल अधिकारी

1-1
[क] औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृत भार के विरुद्ध कनेक्शन दिये जाने के मामले पर
विचार-

696

14

अधिकांसी अभियन्ता, वि०वि०ख०, नैनीताल नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक तक स्वीकृत 165 में से 46 मामले अभी तक निरस्त किये जा चुके हैं तथा 78 मामलों में कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। 15 मामलों पर अनुमति पत्र निष्पादित हो चुके हैं, जिन्हें शीघ्र ही कनेक्शन दे दिया जायेगा। इस प्रकार केवल 26 मामलों में कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही अवशेष है, जिसकी अद्यावधि स्थिति घांछित स पत्र पर सूचनासमिति को उपलब्ध करा दी गई।

[कार्यवाही अधि० अभि० विद्युत, नैनीताल]

[ग] औद्योगिक इकाईयों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्रों की स्वीकृति:-

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपस्थित अधिकारी ने अवगत कराया कि कुल लम्बित 11 मामलों में से 2 मामलों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है एवं 2 मामले निरस्त कर दिये गये हैं। इस प्रकार शेष 7 मामले विचाराधीन हैं, जिनकी सूची उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई, जो निम्न हैं-

- 1-मेसर्स जायडिपक मार्केटिंग प्रा० लि० श्रीमताल।
- 2-मेसर्स ब्रुकफ्रेट, रामनगर।
- 3-मेसर्स क्वालिटी इण्टरप्राइजिज हल्द्वानी।
- 4-मेसर्स कारगों टायर्स, सूरपुर।
- 5-मेसर्स ओरियन्टल मिनरल्स, काठगोदाम।
- 6-मेसर्स यूपी वेन्ट एण्ड मारिना उद्योग, सूरपुर।
- 7-मेसर्स यूनीक सीड प्रा० लि० काशीपुर।

उपस्थित अधिकारी ने बताया कि उपर्युक्त 7 मामलों में से क्रमांक 2 व 3 की इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र ही निर्मित हो प्रायेण शेष इकाईयों को पत्र लिखा गया है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि उपरोक्त सभी लम्बित मामलों का निस्तारण कर अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

[कार्यवाही क्षेत्रीय अधिकारी,
उ००० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल]

[न] 10 तथा उद्योगिकीय निगम की स्थापना पर विचार:-

विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर उद्योगिकीय निगम स्थापित कर प्रथम प्रायोजन पत्रों पर पूर्ण स्वीकृति की प्रवृत्ति लीड बैंक अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण प्राप्त नहीं हो सकी। लीड बैंक अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा एक प्रकट किया गया तथा उनके लिए निर्देश किये गये कि लीड बैंक अधिकारी, नैनीताल आगामी बैठक में पूर्ण प्रवृत्ति के साथ स्वयं उपस्थित हों और इसके लिए उनकी ओर से पत्र भी भेजा जाय।

[कार्यवाही लीड बैंक अधिकारी, नैनीताल/
श्रीमती उद्योगिकीय, हल्द्वानी]

उ००० वित्तीय निगम के उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि 10
अभी कोई मासना स्वीकृत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि लीड बैंक

लेदर प्रॉलिओ कार्यालय का 5 लाख कार्यवाही पूंजी हेतु इन धर्म प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 91-92 में रु 257-50 लाख रु का ऋण में एवं वर्ष 92-93 में रु 67-35 लाख रु. कर. ऋण..... आवेदकों के पक्ष में स्वीकृत हुआ है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि लम्बित मामलों का तुरन्त निस्तारण किया जाय और अधिक से अधिक नये ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाय।

कार्यवाही क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०१० वित्तीय निगम, हल्द्वानी

30-यूपीएलआईडीसीधरेली द्वारा आवंटित शेडो/प्लानों पर कब्जा दिये जाने की प्रगति:-

उ०१० राज्य औद्योगिक विकास निगम धरेली, के उपस्थित अधिकारी द्वारा अज्ञात कराया गया कि लम्बित 3 मामलों में से श्री पचनकुमार तथा श्री शंकोल अहेमद को औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु पत्र लिखा गया है तथा श्री भारत सिंह रावत को दिये गये अन्तिम नोटिस के अनुसार दिनांक 15-5-93 तक ऋण का कब्जा प्राप्त करना या किन्तु अभी तक आवंटि के स्तर से कोई प्रगति नहीं हुई है जिस पर समिति द्वारा इस बात पर सहमति दी गई कि इस मामले को निगम द्वारा निरस्त कर आदेश जारी कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्दिष्ट किया गया कि उक्त लम्बित दोनों मामलों में शीघ्र कब्जा दिये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाय एवं प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाय।

कार्यवाही रीजनल मैनेजर, उ०१० राज्य औद्योगिक विकास निगम, धरेली

वित्तीय इकाईयों को परिवहन उपादान की स्वीकृति पर विचार-

विगत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार 60 इकाईयों के दावे रु 3540548/- तथा 56 इकाईयों के दावे रु 2449729/- के सम्बन्ध में उद्योग निदेशक महोदय के निर्णय हेतु इस कार्यालय के पत्रांक - 7123-24 दिनांक 30-3-93 द्वारा भेजे जा चुके हैं तथा इस हेतु एक अनुस्मारक भी पत्रांक 532 दिनांक 5-5-93 से भेजा गया है परन्तु अभी कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी निर्णय लिया गया - या कि सभी इकाईयों के दावे त्रैमासिक स्थापित के एक माह में प्रस्तुत कर दिये जाय। इस सम्बन्ध में सदस्य-सचिव ने बताया कि समस्त औद्योगिक इकाईयों व औद्योगिक संघों को पत्रांक 382-87 दिनांक 26-4-93 द्वारा परिवहन दावे समय से प्रस्तुत करने के लिए समय तारिखी निर्धारित कर दी गई है तथा निर्देशानुसार अनुपालन धिया जा रहा है।

स-भेसर्त न्यू रामनगर स्टोन जेब्रार के स्थाई पंजीकरण के सम्बन्ध में विचार-

विगत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार क्षेत्रीय अधिकारी, उ०१० प्रत्यक्ष निर्वहन बोर्ड हल्द्वानी के पत्र संख्या 725 दि० 24-4-93 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई का स्थाई पंजीकरण कर दिया जाय।

कार्यवाही महाप्रबन्धक, जि०३०के०३०३०

सदस्य-सचिव द्वारा अकमत कराया गया कि विगत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सेवा/व्यवसायिक गतिविधियों से सम्बन्धित एतदस्त0ई0 इकाईयों के आवेदन पत्रों पर राज्य मंत्री उपादान स्वीकृत नहीं किया जा रहा है और उनके प्रार्थना पत्र निक्षेप करते हुये इकाईयों को तृप्ति किया जा रहा है ।

स्नेडा मुद नं० ३:- औद्योगिक इकाईयों को विद्युत स्वीकृत करने पर विचार-

समिति के समक्ष अधि०अभि०विद्युत नैनीताल द्वारा प्रस्तुत 8 मामलों में से विचारो-परान्त सर्व श्री तेजा सिंह मेतर्स पाल लघु उद्योग, नानकमत्ता व नवीन तिहरीकी मेतर्स यू०एन०ए० फुड प्रोडक्ट, काशीपुर के आवेदन पत्रों को सम्बन्धित उप स्थान पर निर्धारित विद्युत क्षमता उपलब्ध न होने के कारण निरस्त कर दिया गया तथा निम्न 8 आवेदकों के पक्ष में वर्णित विद्युत भार नियमानुसार स्वीकृत कर लिये गये ।

- 1-श्री बाबूलाल अग्रवाल मेतर्स गर्ग आयल मिल, छटीया 11स्व०पी०
- 2-मेतर्स स्टार प्लाईवुड इण्डस्ट्री, रामनगर । 30स्व०पी०
- 3-श्री चंदा पोलेथीन इण्डस्ट्री, गोविन्दपुरा, हलदानी 14स्व०पी०अति०
- 4-मेतर्स अमर इण्डस्ट्री, ग्राम-यानपुर उत्तर, हलदानी 5स्व०पी०अतिरि०
- 5-एनिमियर मैनेजर, भारत पेट्रोलियम का०लि०काठगोदाम 20स्व०पी०अति०
- 6-डिप्टी मैनेजर, इंडियन आयल कारपोरेशन, काठगोदाम 17.67स्व०पी० अतिरिक्त

कार्यवाही अधि०अभि०नैनीताल

स्नेडा मुद नं० 7- औद्योगिक इकाईयों को कच्चा माल शीरे जावंटन के संस्तुति पर विचार:-

परिचाहित स्नेडा नोट के अनुसार निम्न 3 इकाईयों के मामले में शीरे जावंटन हेतु आवश्यक आयुक्त उ०प्र०को संस्तुति भेजने पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किये गये ।

- 1-मेतर्स सुरेशचन्द्र दिनेशचन्द्र रामनगर
- 2-मेतर्स दिनेश चन्द्र राकेश चन्द्र, रामनगर ।
- 3-मेतर्स विनोद कुमार विद्या प्रकाश, रामनगर ।

सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त इकाईयों के पक्ष में क्रमशः 1675, 1000 तथा 1550 कुन्तल की संस्तुति की गई है । जिला आबकारी अधिकारी नैनीताल द्वारा यह अकमत कराया गया कि उनके द्वारा भी जांच कर ली गई है, उनकी तदनुसार संस्तुति रिकार्ड कर ली जायेगी जिसकी 2-3 दिन के अन्दर लिखित/औपचारिक रूप से संस्तुति प्रेषित कर देंगे । सदस्य-सचिव द्वारा अकमत कराया गया कि उद्योग निदेशक उ०प्र० द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार इकाई के पिछले 3 सालों में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन मात्रा के 50 प्रतिशत शीरे की सीमा तक संस्तुति की गई है । अध्यक्ष महोदय द्वारा ये समीक्षा की गई कि क्रमांक 1 पर वर्णित इकाई द्वारा सर्वश्रेष्ठ उत्पादन 3350 कुन्तल हल्का तम्बाकू का दिखाया गया है, उसके परिपेक्ष में आबकारी विभाग द्वारा 1066 कुन्तल शीरे का आवंटन किया गया था इसी प्रकार क्रमांक 2 पर वर्णित इकाई द्वारा दिखाये गये उत्पादन 2000 कुन्तल के विपरीत 583 कुन्तल शीरे का आवंटन तथा क्रमांक 3 पर वर्णित इकाई द्वारा 3100 कुन्तल तम्बाकू के उत्पादन के विपरीत केवल 1000 कुन्तल का आवंटन प्राप्त हुआ है । इस प्रकार उपरोक्त तीनों इकाईयों द्वारा किये गये उत्पादन की मात्रा आवंटित शीरे की अपेक्षाकृत काफी अधिक है । अतः यह निर्णय लिया गया कि मिलहाल इन इकाईयों के पक्ष में उक्त वर्णित इकाईयों को क्रमांक 1-1000 कुन्तल, क्रमांक 2-600 कुन्तल तथा क्रमांक 3-1000 कुन्तल की संस्तुति भेज दी जाय तथा इन इकाईयों द्वारा किये गये अधिक उत्पादन के सम्बन्ध में कुले बाजार से अतिरिक्त शीरे के खरीद/प्रोत आदि के बारे में जिला आबकारी अधिकारी/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रलेखित आठमा प्रस्तुत विद्युत बैठक में विचार किया जायगा ।

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाईयों के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अपेक्षाई गई प्रक्रिया के फलस्वरूप औद्योगिक इकाईयों के स्थाई पंजीकरण में बिलम्ब/कठिनाई की समस्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। तदस्य-सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की मासिक पूर्ति करने में कठिनाई आ रही है, क्यों कि मुख्यालय के निर्देशानुसार केवल उन्ही औद्योगिक इकाईयों की सूची प्रेषित करनी होती है जो कि विभाग में पंजीकृत हो। प्रदूषण विभाग के स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र के कारण इकाईयों की सूची प्रेषित करने में बिलम्ब/कठिनाई आ रही है जिसके कारण लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा यह अनुरोध किया गया कि प्रदेश के सभी जन्मदों में 179 उद्योगों के पक्ष में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को है किन्तु मैनीताल जनपद में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तदस्य-सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश सं० 710/37/93/1-स्मारकदिनांक 18-1-93 की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब केवल 17 उद्योगों के सम्बन्ध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'कन्सेन्ट' प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, शेष अन्य सभी उद्योगों के स्थापना के बारे में केवल उनके कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त कराना पर्याप्त होगा, जिससे स्वयं 'कन्सेन्ट' मान लिया जायेगा। तदस्य-सचिव द्वारा यह बिन्दु समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता केवल तभी तक होती है जब तक कि इकाई स्थापित न हो जाय और अभी तक प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार इकाई के स्थापित होते ही अनापत्ति प्रमाण पत्र की जगह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 'कन्सेन्ट' लिया जाना आवश्यक होता था। अतः प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रचलित व्यवस्थानुसार स्थापित इकाई के बारे में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं थी, और अब उक्त आदेश 18-1-93 के अनुसार 17 उद्योगों को छोड़कर अन्य मामलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति की आवश्यकता नहीं रह गई। इस आदेश के परिपेक्ष्य में, स्थापित इकाईयों के सम्बन्ध में, 17 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बिन्दु पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय किया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाय।

कार्यवाही महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मैनीताल।
हस्ताक्षर।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
हस्ताक्षर।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अध्यक्ष, जिला उद्योग केन्द्र, मैनीताल।
अधिकारी, मैनीताल।

कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मैनीताल।
पत्रांक/ 1151 - 56 /जिला उद्योग-कार्यवृत्ति/जिला उद्योग केन्द्र, मैनीताल, 18-1-93

प्रतिलिपि निम्न की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सम्बन्धित बिन्दुओं पर अनुपालन कर आहवापन किया जाय।

- 1-जिला अधिकारी अधिकारी, नैनीताल ।
- 2-अग्रणी बैंक अधिकारी, बैंक आफ बड़ौदा, नैनीताल, नैनीताल ।
- 3-अध्यापिका अश्विन्ता, विद्युत वितरणखण्ड, नैनीताल । नोडल अधिकारी ।
- 4-जोषाधि निरीक्षक, मार्पत्त मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल ।
- 5-डिप्टीकर अधिकारी, हलद्वानी तथा नैनीताल ।
- 6-अग्निशामन अधिकारी, हाईडिल गेट के सामने, हलद्वानी ।
- 7-सहायक निदेशक कारखाना, दोनहरिया, हलद्वानी ।
- 8-सहायक प्रमापुक्त दोनहरिया, हलद्वानी ।
- 9-क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० वित्तीय निगम, हलद्वानी ।
- 10-क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम, बी०डी०ए०००काम्पलेक्स, बरौली ।
- 11-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड, आदरानगर, हलद्वानी ।
- 12-उपक्षेत्रीय विपणन अधिकारी, हलद्वानी तथा काशीपुर ।
- 13-जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, हलद्वानी ।

[Signature]
 सहायक-सचिव/महाप्रबन्धक,
 जिला उद्योग केन्द्र,
 हलद्वानी नैनीताल

पृष्ठसंख्या/ 1151 - 56 /उपरोक्त/दिनांक उक्त ।
 प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

- 1-आयुक्त महोदय, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
- 2-अध्यापिका निदेशक, उद्योग बन्धु, पिकव भवन, भूतल, बी-2 ब्लॉक, विमूर्ति खण्ड,
 गोमातीनगर, लखनऊ ।
- 3-जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल ।
- 4-मुख्य विकास अधिकारी महोदय, नैनीताल ।
- 5-संयुक्त निदेशक उद्योग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।

[Signature]
 सहायक-सचिव, जिला उद्योग केन्द्र,
 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,
 हलद्वानी नैनीताल

1/पन्ना/

O/L

REGIONAL OFFICE
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Awasth Vikas Colony, Haldwani, Nainital

Phone : 05946-221532, Fax : 05946-225618 Web : www.uppcb.org.in E-mail : ro.haldwani@gmail.com

KPCB/HO/Con- N-18/2022/1258 - 465

Date: 12/03/22

To,
M/s New Ramnagar Stone Company
Railway Yard, Ramnagar
Dist: Nainital.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh/Renewal/Reapplication/Expansion/) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-5" of the "Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement Rules, 2008" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

Consent No- 2182864/N-18/22/02/1595 Date- 03/06/2022

This CCA is hereby granted to M/s New Ramnagar Stone Company, Railway Yard, Ramnagar, Dist- Nainital. subject to the provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. CCA is granted for a period upto 31/03/2027 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment Net Assets Values under Slab 01 Crore to 05 Crore.

S. No.	Last CCA or CTE		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1.	Stone Grits & Stone Dust	16500 MT/Month	Stone Grits & Stone Dust	16500 MT/Month

2. Specific Conditions under Water Act:

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA	Present CCA (Renewal)
Trade Effluent	NIL	NIL
Sewage	NIL	0.5 (Zero Discharge)

(ii) Sewage Treatment and Disposal: The applicant shall provide comprehensive STP/Septic Tank as is required with reference to influent quantity and quality.

3. Conditions under Air Act:-

(i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards


S. No.	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1	DG Set (500 KVA)	6	HSD	10 Ltr/Hr	Acoustic Enclosure with Stack	As per E(P)Act

Ambient Air Quality

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

New Ramnagar Stone Crusher


Partner

Standards for Night Time in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.


4. Conditions under HW Rules:-

- I. Number of authorization and date of issue :
- II. The Factory Manager of M/s New Rannagar Stone Company, Railway Yard, Ramnagar, Dist- Nainital. is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
- III. The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.
- IV. The authorization shall be in force for a period upto 31.03.2027.
- V. The authorization is subject to the conditions stated below and such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.


S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
I	Schedule-I 5.1	0.100	Recycable


Terms and conditions of authorization:

- I. The authorization shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made there under.
- II. The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
- III. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
- IV. Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- V. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
- VI. An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.
- VII. Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the MoEF or CPCB.
5. This CCA is valid only for manufacturing process of Different type of Stone Grits & Stone Dust 16500 MT/Month..
6. Compulsory documents to be submitted by the Industry/ Unit:-
 - (i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under HW Rules and Third Party Audit Report.
 - (ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
 - (iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
10. Unit shall provide stack with DG set as per CPCB standards.


Regional Officer

Copy to: Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.


Regional Officer


2-8-22

Specific Conditions:


Annexure

- 1 The Unit shall Strictly comply with the provisions of Water Act, Air & E(P) Act and Rules/Notification made there under.
- 2 This CCA valid for crushing of raw material (River Bed Materials) obtained from legitimate sources only.
- 3 The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
- 4 The unit shall not increase the production capacity as given in this CCA without prior Consent of the Board.
- 5 The Industry Strictly Adhere with the specific and general conditions issued with CCA orders. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules made there under.
- 6 The unit shall ensure all measures for pollution control as specified under the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under. Unit shall comply with the standards stipulated for stone crushing Units under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended time to time, so that ambient air quality not exceed prescribed limit at any time.
- 7 Unit shall provide wind breaking wall along the periphery of the premises as per Uttarakhand stone crusher policy 2021.
- 8 Unit shall construct metallic road within premises as per Uttarakhand stone crusher policy 2021.
- 9 Unit shall provide dust suppression/containment system on all dust emitting sources/equipment.
- 10 Unit shall do regular wetting of the ground within premises.
- 11 Stone crusher shall be established inside the covered shed.
- 12 Ducting system with HD fan to be provided for suction of dust and to be scrubbed with water. The water from scrubbing will be channelizing to settling tank. The water will be re-used for scrubbing.
- 13 The industry shall ensure interlocking of air pollution control devices and production process.
- 14 The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standard as may be applicable.
- 15 The Stone Crushing units/Screening Plants/Pulverisers shall strictly follow the provisions of the Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pelvises Plants Hot Mix Plant, Ready mix Plant Anaya Policy, 2020 as Amendment 2021.
- 16 The Industry shall ensure all safety measures and shall undertake periodical assessment by the competent authority.
- 17 The unit shall not operate during night hours as defined under Noise Rules-2000.
- 18 Unit shall comply with Directions/Orders/Guidelines issued by Hon 'ble Courts/Tribunal and/or Competent Authority from time to time in reference to Stone Crusher.

General Conditions:

- 1 The applicant shall get analyze the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UKPCB.
- 2 The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
- 3 The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
- 4 The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak proof.
- 5 The industry shall provide uninterrupted entry to Pollution Control equipment for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
- 6 The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
- 7 Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failures of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
- 8 The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
- 9 In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operations of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
- 10 The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/productions capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission points.
- 11 The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
- 12 The person authorized change shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permissions of the Board.

- Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
4. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility.
 5. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous waste within premises only.
 6. The authorization agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on Display Board of size 6x4 feet outside the main factory gate within premises.
 7. It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to closed and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
 8. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and chemical analysis of hazardous waste sample and report to the Board.
 9. The Storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and 'Hazardous' Shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
 20. The Industry shall store used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be sold only to Registered Recyclers/Re-processors.
 21. In case of any transportation of hazardous waste, the details in Form-10 of the Hazardous & Others Wastes Rules,2016 shall be submitted to the Board.



Regional Officer

OK





705

Uttarakhand Pollution Control Board

Regional Office, Haldwani,

Awasth Colony Nainital Road,

Haldwani (Nainital), Uttarakhand 263139

phone no: (05946)-221532, 225618

Provisional Consent Order (CCA)

Application No-2182864

Dated: 03/06/2022

Ref No-10151/UEPPCB/Haldwani RO/Nainital/CTO/2182864

Valid upto: 31/03/2027

Besides streamlining and simplifying of regulatory regime, Uttarakhand Pollution Control Board has taken initiative in from of introduction of Consolidated Consent and Authorization (CC&A) which provides for a one shot application and clearance of the consents under Water Act, Air Act and Authorization under Hazardous Wastes Rules for a period of 5 years. Consolidated Consent and Authorisation Board issues consolidated consent and Authorization to an industrial unit for operation of plant/carrying out industrial activity specifying following conditions.

Consolidated Consent and Authorisation

In exercise of the power conferred under section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974, under section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981

and Authorization under rule 3(c)& 5(5) of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 framed under the E(P) Act-1986.

And whereas Board has received consolidated Application No. (CtO:CCA-Renew) 2182864 and Dated 31/05/2022 for the consolidated consent and authorization (CC&A) of this Board under the provisions / rules of the aforesaid Acts Consent & Authorization is hereby granted as under.

CONSENT AND AUTHORISATION : (under the provisions / rules of the aforesaid environmental acts)

To

M/s New Ramnagar Stone Company

Railway Yard, Ramnagar, Distt. - Nainital

Tehsil: Ramnagar

District: Nainital

Phone No: 7017890117

Consent Order No:

2182864 Renew

Valid upto: 31/03/2027

All Conditions under the AIR ACT-1981 WATER ACT-1974 HAZARDOUS ACT-2008 shall be Applicable to you as mentioned in the detailed Consent Order ***

GENERAL CONDITIONS :-

- This order is provisional order and detailed order is considered as final.
- All the conditions & provisions under the Water Act 1974, the Air Act 1981 and the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made there under shall be complied with
- All the conditions & provisions under the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules 2008 as amended shall be complied
- The applicant shall provide portholes, ladder, platform etc at chimney(s) for monitoring the air emissions and the same shall be open for inspection to/and for use of Board's staff. The chimney(s) vents attached to various sources of emission shall be designed by numbers such as S-1, S-2, etc. and these shall be painted/ displayed to facilitate identification.
- The industry shall take adequate measures for control of noise levels from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standards in respect of noise to less than 75dB(A) during day time and 70dB(A) during night time. Daytime is reckoned in between 6 a.m. and 10 p.m. and nighttime is

This is computer generated order. Signature is not required.

reckoned between 10 p.m. and 6 a.m.

- f) In case of change of ownership/management the name and address of the new owners/ partners/ directors/ proprietor or equipment or working conditions as mentioned in the consents form / order should immediately be intimated to the Board.
- g) Industry shall have to display data outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emissions and solid hazardous wastes generated within the factory premises.
- h) The CCA shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the Uttarakhand Pollution Control Board.
- i) Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the CCA order by CCA holder shall constitute a breach of this CCA.
- j) Adequate plantation shall be carried out all along the periphery of the industrial premises in such a way that the density of plantation is atleast 1000 trees per acre of land and a green belt of 5 meters width is developed.
- K) The applicant shall have to submit the returns in prescribed form regarding water consumption and shall have to make payment of water cess to the Board under the Water Cess Act- 1977.

***** Note : ACT-Specific, Industry-specific, Area-specific Conditions alongwith Product,Waste water effluent details shall be precisely mentioned in the DETAILED Consent Order.**

***** Note :This is only provisional communication. The final Consent/Authorization in hard copy with duly signed by competent authority shall the final and valid Consent/Authorization.**

**For and on behalf of
Uttarakhand Pollution Control Board**



**RO Haldwani
Dr D K Joshi
Mobile no-9412998572**

Provisional Consent Order (CCA)

Awasthi Vikas Col

Nainital R

Haldwani

Tel : 05946-221532,225

Consent No. AWH-21285 Valid upto: 31/03/2022

Application : CtO:CCA-Renewal, No. 244296 Dt. 14/10/2019, Granted On: 23/11/2019

PCB Id:141

Besides streamlining and simplifying of regulatory regime, Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board has taken initiative in from of introduction of Consolidated Consent and Authorization (CC&A) which provides for a one shot application and clearance of the consents under Water Act, Air Act and Authorization under Hazardous Wastes Rules for a period of 5 years. Board issues consolidated consent and Authorization to an industrial unit for operation of plant/carrying out industrial activity specific following conditions.

Consolidated Consent and Authorisation

In exercise of the power conferred under section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974, under section-21 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981 and Authorization under rule 3(c) & 5(5) of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules 2008 framed under the E(P) Act-1986.

And whereas Board has received consolidated Application No. (CtO:CCA-Renewal) 244296 and Dated 14/10/2019 for the consolidated consent and authorization (CC&A) of this Board under the provisions / rules of the aforesaid Acts Consent & Authorization is hereby granted as under.

CONSENT AND AUTHORISATION : (under the provisions / rules of the aforesaid environmental acts)

To,

M/s. New Ramnagar Stone Company,**RAILWAY YARD., RAMNAGAR,****City : RAMNAGAR,****Dist : Nainital, Tal : Ramnagar, SIDC : Not In Any SIDC****Phone : -**

1. Consent Order No: **AWH-21285** Valid Upto: **31/03/2022**

2. All Conditions under the AIR ACT-1981 WATER ACT-1974 HAZARDOUS ACT-2008 shall be Applicable to you as mentioned in the detailed Consent Order ***

Consented CETP: **Not Linked to any CETP**

Consented TSDF: **Not Regd with any TSDF**

3. GENERAL CONDITIONS :-

- This order is provisional order and detailed order is considered as final.
- All the conditions & provisions under the Water Act 1974, the Air Act 1981 and the Environment (Protection) Act - 1986 and the rules made there under shall be complied with *.
- All the conditions & provisions under the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules 2008 as amended shall be complied with *.
- The applicant shall provide portholes, ladder, platform etc at chimney(s) for monitoring the air emissions and the same shall be open for inspection to/and for Board's staff. The chimney(s) vents attached to various sources of emission shall be designed by numbers such as S-1, S-2, etc. and these shall be painted/ displayed to facilitate identification.
- The industry shall take adequate measures for control of noise levels from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standards respect of noise to less than 75dB(A) during day time and 70dB(A) during night time. Daytime is reckoned in between 6 a.m. and 10 p.m. and nighttime is reckoned between 10 p.m. and 6 a.m.
- In case of change of ownership/management the name and address of the new owners/ partners/ directors/ proprietor or equipment or working conditions as mentioned in the consents form / order should immediately be intimated to the Board.
- Industry shall have to display data outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emissions and solid hazardous wastes generated within the factory premises.
- The CCA shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board.
- Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the CCA order by CCA holder shall constitute a breach of this CCA.
- Adequate plantation shall be carried out all along the periphery of the industrial premises in such a way that the density of plantation is atleast 1000 trees per acre and a green belt of 5 meters width is developed.
- The applicant shall have to submit the returns in prescribed form regarding water consumption and shall have to make payment of water cess to the Board under the Water Cess Act- 1977.

***** Note : ACT-Specific, Industry-specific, Area-specific Conditions alongwith Product, Waste water effluent details shall be precisely mentioned in the DETAILED Consent Order.**

***** Note : This is only provisional communication. The final Consent/Authorization in hard copy with duly signed by competent authority shall be the final and valid Consent/Authorization.**

For and on behalf of
Uttarakhand Environment Protection
Pollution Control Board

(Member Secretary)

708

शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या 1344/VII-A-1/2021/3(93)/21
देहरादून, दिनांक: 17 अगस्त, 2021

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 1391/खनन/भूखनि०ई०/स्टोनक्रेशर/नैनीताल/2021-22 दिनांक 02 अगस्त, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के बिन्दु सं० 1(2) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मै० न्यू रामनगर स्टोन क्रेशर, ग्राम शिवलालपुर पाण्डे, रेलवे बोर्ड, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल के पक्ष में जनपद नैनीताल, तहसील रामनगर के ग्राम शिवलालपुर पाण्डे के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 207 कुल रकबा 0.839 है० भूमि में 82 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर प्लान्ट के संचालन की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित, दिनांक 19.11.2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु निम्न शर्तों के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित शर्तों (बिन्दु सं० 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 7(16) के अनुसार प्लान्ट संचालन से पूर्व Consent to operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
3. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 9 की अनुपालना मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
4. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 7(15) की अनुपालना मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
5. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-III के बिन्दु सं० 1(1) के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 100 टन प्रतिघंटा क्षमता तक के स्टोन क्रेशर प्लान्ट के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 20.00 लाख के सापेक्ष अवशेष शुल्क ₹ 19,80,000/- (₹ उन्नीस लाख अस्सी हजार मात्र) शासन द्वारा निर्गत नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 6 (क) के अनुसार अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रशड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लान्ट में छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर ₹ 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 6(ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिर्काडिंग की सी०डी० प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार शासन को सूचित किया जायेगा।

8. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 6(ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 6(घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
10. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 6(ड) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
11. गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार प्रश्नगत स्टोन क्रेशर प्लांट की क्षमता 82 टन प्रति घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर०बी०एम० की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $90 \times 82 \times 10 = 73,800$ टन तथा वर्षाकाल से भिन्न अवधि अर्थात् अक्टूबर से जून तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $45 \times 82 \times 10 = 36,900$ टन होती है तथा वर्ष में 2,95,200 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।
12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पत्वारईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
13. प्लांट स्वामी के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 2(15) के अनुसार प्लांट में उपयोग किये जाने हेतु कच्चे माल की आपूर्ति हेतु उपलब्ध कराये गये अनुबन्ध में उल्लिखित कुल अनुबन्धित उपखनिज की मात्रा को स्टोन क्रेशर भण्डारण की ई-रवन्ना पोर्टल आई०डी० के साथ जोड़ा जायेगा, जिससे पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक उक्त अनुबन्धित उपखनिज किसी अन्य को आपूर्ति/विक्रय न कर सके तथा क्रेशर स्वामी किसी अन्य से कच्चे माल की आपूर्ति न ले सके। कच्चे माल की आपूर्ति हेतु उपखनिजों के अन्य स्रोत उपलब्ध कराये जाने की दशा में उक्तानुसार उनको भी ई-रवन्ना पोर्टल से जोड़ा जायेगा।
14. प्लांट स्वामी द्वारा अनुबन्धित पट्टा धारकों से ही कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। प्लांट स्वामी द्वारा अनुबन्धित खनन पट्टा धारकों से इतर पट्टा धारकों से उपखनिज की आपूर्ति नहीं की जायेगी। उक्त शर्त का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करते हुए एक सप्ताह की समयवधि में ई-रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।
15. स्टोन क्रेशर प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति हेतु स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 2(15) के अनुसार प्लांट की प्रतिवर्ष क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का पंजीकृत अनुबन्ध की सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जानी होगी अन्यथा की दशा में प्लांट स्वामी का ई-रवन्ना पोर्टल बन्द कर दिया जायेगा।
16. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-III के बिन्दु सं० 3(1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

17. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्ता/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
18. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(दिनेश सिंह भण्डारी)
अनु सचिव

संख्या:-1344(1)/VII-1/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र दिनांक 02.08.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै० न्यू रामनगर स्टोन क्रेशर, ग्राम शिवलालपुर पाण्डे, रेलवे बोर्ड, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(दिनेश सिंह भण्डारी)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या-1924/VII-A-1/2021/03(101)/2021
देहरादून: दिनांक: 11 नवम्बर, 2021

कार्यालय संख्या-1875/VII-A-1/2021/03(101)/2021, दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढवाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)

संयुक्त सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 को अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात :-

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021

- | | |
|---------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| परिभाषाएं | 2. (1) इस नीति में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;
(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;
(ङ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा उनको न्यस्त किया गया है;
(च) "व्यक्ति" से भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;
(छ) "पर्वतीय क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा, चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;
(ज) "मैदानी क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, |

डोईवाला, देवरूढ़, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;

- (झ) "खनन सत्र" से 01 अक्टूबर से आगामी 30 जून तक अभिप्रेत है;
- (ञ) "आबादी" से आवेदन की तिथि को कम से कम 10 परिवारों का समूह निवासरत हों, आबादी क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ट) "On site स्थापना" से नदी/गधेरे में स्वीकृत चुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना अभिप्रेत है;
- (ठ) "नदी" (Perennial river) से ऐसे नदी, जिसमें जल का प्रवाह वर्षभर निरन्तर होता रहता अभिप्रेत है;
- (ड) बरसाती नदी, नाला एवं गधेरा (Non-Perennial river) से ऐसे जल प्रवाह से है, जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है, अभिप्रेत है;
- (ढ) "नियमावली" से यथाप्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली अभिप्रेत है;
- (ण) "नदी के किनारे" से उच्चतम बाढ़ स्तर "Highest flood level" अभिप्रेत है;
- (त) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी अथवा उपनिदेशक, भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी से अभिप्रेत है;
- (थ) "महानिदेशक" से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
- (द) "निदेशक" से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
- (ध) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना" से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है;
- (न) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की कार्यदायी संस्था" से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी.आर.ओ., रेल विकास निगम लि., टी.एच.डी.सी.लि., एन.एच. पी.सी., एन.टी.पी.सी., सी.पी.डब्ल्यू.डी., पी.डब्ल्यू.डी., यू.जे.वी.एन.एल. आदि अभिप्रेत है;
- (2) "शब्द और पद", जो इस नीति में परिभाषित नहीं है, परन्तु उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा जारी किया जायेगा।

अध्याय-1. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट

स्टोन क्रेशर
प्लांट/स्क्रीनिंग
प्लांट हेतु
आवेदन

3. (i)-स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची-1 में उल्लिखित प्रपत्र पर वर्णित अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित छः प्रतियों में जिला स्तरीय भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

आवेदन में प्लान्ट एवं भण्डारण हेतु अधिकृत परामर्शदाता (Authorized consultant)/आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि के क्षेत्रफल को मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया हो, मानचित्र सहित प्रस्तुत की जायेगी। भण्डारण हेतु मानचित्र पर प्रदर्शित

4

क्षेत्रफल में एक समय में नकारित की जाने वाली अधिकतम उपखनिज की मात्रा का भी उल्लेख किया जायेगा।

आवेदन शुल्क 4. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु आवेदन शुल्क के रूप में रु. 10,000/- विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा।

आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण 5. आवेदन प्राप्त होने पर 03 दिन के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार हो, में विज्ञप्ति जन-साधारण की सूचना हेतु आवेदक के व्यय पर प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्ति में आवेदक इकाई का नाम, पता व स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित होगा। विज्ञप्ति पर यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि, जो प्रस्तावित प्लांट के निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आते हों तथा प्रस्तावित इकाई की स्थापना/संचालन से प्रभावित हों अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्तर्गत जिलाधिकारी एवं महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी, को लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे।

यदि विज्ञप्ति के सापेक्ष आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रस्तर-6 में गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति सहित आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र मय गठित समिति की आख्या संस्तुति सहित महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को अग्रसारित किया जायेगा।

स्थल चयन समिति 6. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी :-

1. संबंधित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी सदस्य जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो
3. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य सचिव

चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची-2 में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

दूरी के मानक 7. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट के आवेदन हेतु प्रस्तावित प्लांट के डक स्थल से क्षैतिज दूरी के निम्नलिखित मानक होंगे :-

क्र०सं०	स्थान	स्टोन केशर	स्क्रीनिंग प्लांट
1.	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	01 किलोमीटर	01 किलोमीटर
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से	500 मी०	500 मी०
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से	50 मी०	50 मी०
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर
5.	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर

M

- (1) पर्वतीय क्षेत्र में स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु Non-Perennial river के किनारे से 25 मीटर, नदी (Perennial river) से दूरी 50 मीटर तथा सरकारी वन से दूरी 25 मीटर होगी। शेष दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के मानकों के समान होंगे।
- (2) गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित प्लांट के डक स्थल से निर्धारित क्षैतिज दूरी के मानकों के सापेक्ष मौके पर प्लांट की वास्तविक दूरी का उल्लेख किया जायेगा।
- (3) आबादि से 300 मी० के अन्तर्गत स्थित परिवारों/भूस्वामियों की एन०ओ०सी०/अनापत्ति अपरिहार्य होगी।
- (4) आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा।

पर्यावरणीय
मानक

8. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
- (2) पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा० न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्लांट हेतु
न्यूनतम
क्षेत्रफल

9. इस नीति के प्रख्यापन के उपरान्त आवेदित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल, जो एक संहत खण्ड में हो, निम्नवत् होगा :-
 - (क) मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल:- 0.75 है० ।
 - (ख) पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल:- 0.10 है० ।
- (ग) प्लांट हेतु आवेदित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, प्लांट, हरित पट्टिका, धर्मकांटा, ऑफिस एवं वाहन के आवागमन हेतु मार्ग के क्षेत्रफल को छोड़ने के पश्चात् अवशेष क्षेत्र में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण उपलब्ध/आवेदित क्षेत्रफल के अनुसार किया जायेगा।
- (घ) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भण्डारण स्थल में एक समय में प्लांट की वार्षिक कशिंग क्षमता की 1.5 गुना से अधिक की मात्रा का भण्डारण नहीं कर सकेगा।
- (ङ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की वार्षिक कशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में):- प्लांट की क्षमता (टन/घंटा) x स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10घंटा प्रतिदिन x 360 दिन।
- (च) कच्चा माल (आर०बी०एम०) एवं पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊंचाई तक।



कच्चे माल की 10. आपूर्ति एवं उत्पादित माल का विक्रय

स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों द्वारा क्रय किये जाने वाले कच्चे माल के स्रोत को नोटराईज्ड शपथ-पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

उत्पादित माल का विक्रय विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

प्लांट संचालक को उत्पादित माल के विक्रय की गयी मात्रा पर निर्धारित पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा।

स्टोन क्रेशर एवं 11. (1) स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता

स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घंटा में आवेदक द्वारा शपथ-पत्र पर घोषित की जायेगी।

(2) क्षमता का परीक्षण/प्रमाणीकरण निम्न विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा :-

क- महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी

ख- विद्युत वितरण निगम का जिला स्तरीय अधिकारी

ग-लोक निर्माण विभाग या अन्य अभियांत्रिकी विभाग का यांत्रिक अभियन्ता (Mechanical Engineer)

समिति द्वारा प्लांट का संचालन कर प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का सत्यापन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक द्वारा तदनुसार प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का निर्धारण किया जायेगा।

विशेषज्ञ समिति, प्रत्येक दो वर्ष में या शिकायत प्राप्त होने या प्लांट स्वामी के अनुरोध पर, प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग की क्षमता का परीक्षण कर आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक को उपलब्ध करायेगी।

अनुज्ञा शुल्क 12. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :-

क्र० सं०	संयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क	मैदानी क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क
1	स्टोन क्रेशर	रु० 10.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रु० 20.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रु० 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रु० 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
2	स्क्रीनिंग प्लान्ट	रु० 2.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रु० 4.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रु० 25,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रु० 1.00लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)

अनुज्ञा शुल्क इकाई की स्वीकृति के उपरान्त ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।

अनुज्ञा स्वीकृति

13. (1) जिलाधिकारी एवं महानिदेशक की संस्तुति पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं उपखनिज भण्डारण हेतु अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(2) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति

M

सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त जिलाधिकारी एवं महानिदेशक को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त तथा स्थल पर प्लान्ट के स्थापना के उपरान्त उसका उपयोग प्रारम्भ होने पर उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 143 के अधीन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/
स्क्रीनिंग प्लान्ट
अनुज्ञा देने हेतु
शर्तें

14. प्लान्ट संचालन हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा :-

- (1) अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त 02 वर्ष के भीतर प्लान्ट की स्थापना/संचालित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में प्लान्ट अनुज्ञा निरस्त कर दी जायेगी।
- (2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
- (3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
- (4) प्लान्ट के सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- (5) प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।
- (6) प्लान्ट में छेड़छाड़ विरोधी (Tamper Proof) इलैक्ट्रानिक मीटर लगाया जाना अपरिहार्य होगा। इलैक्ट्रानिक मीटर को प्रतिदिन प्रारम्भ (Start) और बन्द (Close) किया जायेगा तथा इसकी मीटर रीडिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अभिलिखित की जायेगी।
- (7) समस्त वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।
- (8) खनिजों का रु. 2.00 लाख से अधिक धनराशि का क्रय एवं विक्रय की कार्यवाही बैंक/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से ही किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।
- (9) प्लान्ट के प्रवेश व निकासी गेटों पर सी०सी०टी०वी० स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा और रिकार्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा। औचक निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा रिकार्डिंग मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी०सी०टी०वी० बन्द पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी सी.सी.टी. वी. रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ी पायी जाती है, तो जिला स्तरीय खान अधिकारी द्वारा प्लांट स्वामी के ऊपर ₹ 250.00 प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जिसे प्लांट स्वामी द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

विनियमितीकरण 15.

- (1) पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी, जिन्होंने अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रतिघंटा में घोषित नहीं किया है अथवा विनियमितीकरण नहीं हुआ है, को इस नीति की घोषणा के 06 माह के भीतर अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रति घंटा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा।

घोषणा प्लान्ट की क्षमता के अनुसार प्लांट स्वामी द्वारा विनियमितीकरण हेतु आवेदन निर्धारित विनियमितीकरण शुल्क के साथ महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त विनियमितीकरण जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक द्वारा किया जायेगा।

विनियमितीकरण शुल्क नीति में वर्णित अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, जिसका 01 प्रतिशत विनियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा शेष 99 प्रतिशत शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करना होगा। निदेशालय द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी होने के उपरान्त यदि प्लांट स्वामी द्वारा विनियमितीकरण शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत धनराशि 01 माह के अन्तर्गत जमा नहीं करायी जाती है तो प्लांट का ई-रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।

नीति की घोषणा के 06 माह बाद ई-प्रपत्र "जे" केवल विनियमित प्लान्ट को ही जारी किये जायेंगे।

नवीनीकरण 16. स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा का नवीनीकरण निम्नवत् किया जायेगा :-

- (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची-3** में वर्णित अभिलेखों सहित किया जायेगा।
- (2) नवीनीकरण प्रस्ताव/आवेदन का स्थलीय निरीक्षण महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी एवं पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी सहित संस्तुति सहित आख्या **अनुसूची-4** जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति सहित आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश, जिलाधिकारी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु भण्डारण सहित स्वीकृत किया जायेगा।
- (3) प्लान्ट के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा शुल्क नवीनीकरण की स्वीकृति होने के उपरान्त ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व आवेदक द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा, जो नीति में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा।
- (4) पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट को इस नीति में उल्लिखित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानकों को छोड़कर अन्य मानकों को प्रत्येक दशा में छः माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

नाम परिवर्तन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरण:

17. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटायें जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की स्पष्ट संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

Y

1. स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदारों का नाम परिवर्तन-प्रत्येक हेतु 37 2.00लाख।
2. स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-प्रत्येक हेतु 37 1.00 लाख।

- प्लान्ट का नये स्थान पर स्थानान्तरण
18. पूर्व से स्वीकृत एवं स्थापित ऐसे प्लान्ट, जो वर्तमान नीति के मानक पूर्ण नहीं करते हैं या कतिपय अन्य कारणों से यदि प्लांट का स्थानान्तरण नये अन्यत्र स्थान पर करना चाहता है तथा प्रस्तावित नवीन स्थल नीति में निर्धारित क्षेत्रफल एवं दूरी के मानकों के अनुरूप है, तो प्लांट स्वामी के अनुरोध पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की आख्या तथा जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर प्लांट के स्थानान्तरण हेतु अनुमति शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्लांट स्वामी को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

अध्याय-II. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

- आवेदन
19. प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-5 में वर्णित अभिलेखों एवं अध्याय-2 में निर्धारित आवेदन शुल्क सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

- अनुज्ञा शुल्क
20. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :-

- रु0 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु)
- रु0 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु)
- रु0 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु)
- रु0 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु)

- आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण
21. मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला स्तरीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये। यदि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में गुण दोष के आधार पर निर्णय लेकर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण-दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

- स्थल चयन, मानक एवं अनुज्ञा स्वीकृति
- (1) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

- (2) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु राजकीय निर्माण परियोजना प्रबंधक/राजकीय कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रशड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।
- (3) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांटों पर लागू हैं।
- (4) प्लान्ट स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (5) राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापित कर संचालन किया जायेगा।
- (6) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो संबंधित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।
- (7) प्लांट संचालन तथा प्लांट के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ-साथ स्वीकृत की जायेगी।

परन्तु यह कि, मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, स्वीकृत किये जायेंगे।

- (8) पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे।
- (9) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रशड एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

नवीनीकरण

23.

- (1) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।
- (2) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नाम परिवर्तन/ 24.
भागीदारों के
नाम परिवर्तन/
/अनुज्ञा
हस्तान्तरण:

मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति, जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:- इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

1. मोबाईल स्टोन केशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - प्रत्येक हेतु रू0 50,000/-
2. मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - प्रत्येक हेतु रू0 25,000/-

अध्याय-III. हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

- | | | |
|------------------|-----|---|
| आवेदन | 25. | हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची-6 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
जिला खान अधिकारी अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा। |
| अनुज्ञा शुल्क | 26. | अनुज्ञा शुल्क रू0 25000/- |
| अनुज्ञा स्वीकृति | 27. | 1. जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी जाँच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी।
हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो उपजिलाधिकारी से न्यून न हो अथवा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा। |
| नवीनीकरण | 28. | हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-III में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।
हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि जो भी कम हो, के लिए की जायेगी। |
| अन्य शर्तें | 29. | (1) प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। |

- (2) प्लान्ट को रजिस्ट्रार वरवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (3) प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

नाम परिवर्तन/ 30.
भागीदारों के
नाम परिवर्तन/
/अनुज्ञा
हस्तान्तरण:

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स (आर0एम0सी0) प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

1. हाटमिक्स प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - प्रत्येक हेतु रू0 50,000/-
2. रेडिमिक्स (आर0एम0सी0) प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - प्रत्येक हेतु रू0 50,000/-

अध्याय-IV. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति व नवीनीकरण

- आवेदन 31. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची-7 में उल्लिखित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क एवं वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जिले के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
- आवेदन शुल्क 32. पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।
- स्थल चयन 33. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित स्थल की जाँच समिति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।
- अनुज्ञा देने हेतु 34. (क) पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु न्यूनतम 0.20 एकड़ क्षेत्रफल आवश्यक होगा।
(ख) पल्वराईजर प्लांट की स्थापना, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, सार्वजनिक धार्मिक स्थल से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जायेगा।
(ग) पूर्व से स्थापित/संचालित पल्वराईजर प्लांट पर दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होंगे।
(घ) प्लांट की स्थापना एवं संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to

M

अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट को नीति के विपरीत कार्य करने पर स्वीकृता अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

- (2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
- (3) स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (4) नये प्लांट की स्थापना, नवीनीकरण एवं प्लांट के नाम/भागीदार परिवर्तन/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवश्यक खनन अदेयता प्रमाण पत्र यदि आवेदक इकाई के विरुद्ध अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन से सम्बन्धित अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपील विचाराधीन हैं तथा इस हेतु आवेदक/भागीदारों के द्वारा वाद/अपील में पारित अन्तिम निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर खनन अदेयता प्रमाण पत्र महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उक्त शर्तों के अधीन निर्गत किया जायेगा।

अध्याय-V. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की स्वीकृति :-

आवेदन 40.

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना के सरकारी कार्यदायी संस्था अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

स्थल चयन 41.
समिति

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों से स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदित स्थल की निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक,

i	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।	सदस्य
vii	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य

उक्त तकनीकी समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रि के रूप में आबद्ध कर सकेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने पर जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/संस्तुति संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

अनुज्ञा स्वीकृति 42.

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट प्लांट तथा प्लांट परिसर में उपखनिज के भण्डारण हेतु प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट की अनुज्ञा 05 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/संस्तुति के आधार पर 01 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न टनलों/निर्माण स्थलों से निकलने वाले उपखनिज Muck में

44

से उपयोगी उपखनिज (Usable material) की मात्रा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियमानुसार निर्गत स्वीकृति एवं रिवर ट्रेनिंग के अन्तर्गत प्राप्त अनुज्ञप्ति में स्वीकृत मात्रा) को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा।

मानक एवं
अन्य शर्तें

43. (1)

हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट हेतु राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटों से तैयार माल स्रोत (Source of Material) के रूप में मान्य होगा।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत प्लांटों का पंजीकरण विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2)

वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम-1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा0 न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(3)

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग (Boundary wall)/Covered Fencing के अन्दर स्थापित करेगा।

(4)

स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएँ।

कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(5)

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट को कवर्ड शैड (Covered shed) के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर फब्वारे (Water sprinklers) लगाने होंगे।

(6)

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(7)

संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़ें।

(8)

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह

M

कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

- (9) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (10) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार फब्बारे (Water sprinklers) की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
- (11) फब्बारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फब्बारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
- (12) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्क्रबिंग की जाय। स्क्रबिंग में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।
- (13) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) लिया जाना अपरिहार्य होगा।
- (14) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों में धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों पर लागू हैं।

नीति का
स्पष्टीकरण 44.

इस नीति में किये गये प्रावधान का कोई भी स्पष्टीकरण (Clarification) करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

आज्ञा से,

(आर0.मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
अनुसूची-1

(06 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,

जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:-..... ।
- 2- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....
पता-.....
मोबाईल नं०-.....
ई-मेल आईडी-.....
- 3- आवेदित स्थल का विवरण -
जिला.....
तहसील.....
ग्राम.....
खसरा संख्या
क्षेत्रफल.....
- 4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ।
- 5- अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति..... ।
- 6- प्लांट परिसर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..... ।
- 7- अनुज्ञा शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक..... ।
- 8-अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।
- 9-यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ।

- 10- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।
- 11-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।
- 12-यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के विधिवत रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ।
- 13-आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 14- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
- 15- आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट की प्रति ।
- 16- स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति..... ।
- 17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
- 20 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.. ।
- 21- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति..... ।
- 22- प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति..... ।
- 23- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं ।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण
आख्या का प्रारूप
(अनुसूची-2)

1. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम:-..... ।
2. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-..... ।
3. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण -..... ।

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा सं०	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

4. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा)..... ।
5. आवेदक शुल्क का विवरण:-

चालान सं०	धनराशि	दिनांक

6. आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
7. आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
8. आवेदक के द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशन का दिनांक..... ।
9. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्या:-
10. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक..... ।

11. प्रस्तावित संयंत्र से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार प्लांट के डक स्थल से नीति में निर्धारित दूरी के सापेक्ष वास्तविक दूरी:-

क्र०सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	टिप्पणी
1.	सरकारी वन			
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से			
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से			
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से			
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)			
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि			
5.	आबादी से दूरी			

12. राजस्व विभाग की आख्या :-

(क) प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण:-

क्र०सं०	ग्राम	तहसील	खाता सं०	खसरा सं०	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है० मे)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(ख). आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का नोटरीज्ड शपथ पत्र:-

(ग). आवेदित भूमि के बन्धक मुक्त होने के संबंध में प्रमाण पत्र/नोटरीज्ड शपथ पत्र.....

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

13. वन विभाग की आख्या:-

(क) प्रस्तावित प्लांट की सरकारी वन/आरक्षित वन से दूरी:-

(ख) प्रस्तावित प्लांट की नेशनल पार्क/सेंचुरी से दूरी:-

(ग) प्रस्तावित प्लांट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्या:-

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

14. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :-

1. (क) नीति के अध्याय-I के बिन्दु सं0 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है0 में):-...

(ख) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लान्ट परिसर में प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (टन में)..... ।

(ग) नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय में भण्डारण क्षमता (टन में)-

(घ) नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 (ड) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में):-..... ।

2. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल के स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के सम्बन्ध में टिप्पणी:-..... ।

3 (क). आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

(ख) आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था द्वारा कार्यालय में आपत्ति प्राप्त हुयी है अथवा नहीं, यदि आपत्ति प्राप्त हुयी है तो उस पर जन सुनवाई की गयी है अथवा नहीं, यदि की गई है तो जन सुनवाई का दिनांक व लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स..... ।

5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्धदण्ड तो आरोपित नहीं है, यदि है तो पूर्ण विवरण :-

6. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
7. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
8. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक हो:-

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति:-

(प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि)
वन विभाग,
सदस्य।

(जिला खान अधिकारी)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
सदस्य सचिव।

(उप जिलाधिकारी)
राजस्व विभाग,
अध्यक्ष।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (अनुसूची-3)।

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के नवीनीकरण एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

1- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:-.....।

2- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....

पता:-.....

मोबाईल नं०-.....

ई-मेल आईडी-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल

4- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्थापना की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु पूर्व निर्गत आदेश की प्रति।

5- प्लांट की क्षमता (टन/घंटा), जिसके लिए नवीनीकरण किया जाना है।

6- अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट/मानचित्र की प्रति.....।

7- प्लांट परिसर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....
.....।

8- आवेदन शुल्क का विवरण (मूल प्रति सहित) :-

चालान सं०	धनराशि	दिनांक

9- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....

क्र०सं०	स्वीकृत अवधि में प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन में)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा धनराशि (रु०)

10-अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण का नवीनीकरण अपेक्षित है.....।

11-यदि आवेदक एक व्यक्ति अथवा फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता

12- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।

13- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति

14- आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति

15- आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति

16- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.....।

17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।

18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति

19- अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने अथवा यदि अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन सम्बन्धी प्रकरणों में अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हो तो मा० न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय आदेश की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति

20- प्रचलित नीति के अध्याय-I के बिन्दु सं०-6 व अध्याय-III के बिन्दु सं० 2 के अनुपालना के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति

- 21- आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो तो, संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति...
.....
- 22- प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में अनुबन्ध की नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रति..... ।
- 23- पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति.....
..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु संयुक्त निरीक्षण
आख्या का प्रारूप
(अनुसूची-4)

1. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम:-..... ।
2. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-..... ।
3. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण -..... ।

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा सं०	क्षेत्रफल

4. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा)..... ।
5. आवेदक शुल्क का विवरण:-

चालान सं०	धनराशि	दिनांक

6. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक..... ।
7. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :-
 1. (क) नीति के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है० मे):-...
..... ।
 - (ख) नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 4 (ग) के अनुसार प्लांट परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु अवशेष क्षेत्रफल(है० मे):- ।
 - (ग) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार अवशेष आवेदित भण्डारण स्थल में एक समय में भण्डारण क्षमता (टन में).....
 - (घ) नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय में भण्डारण क्षमता (टन में)- ।
 - (ङ) नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 4 (ङ) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में):-.....
2. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लांट में Tamper Proof इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया गया है अथवा नहीं..... ।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के हैं अथवा नहीं..... ।
4. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल का स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी..... ।
5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्थ दण्ड तो आरोपित नहीं है यदि है, तो पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति सहित..... ।
6. (क). स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट, यदि फर्म/कम्पनी हो तो उसके भागीदारों एवं सदस्यों का विवरण:-..... ।
(ख). भागीदारी डीड एवं पंजीकरण दिनांक का विवरण ।
7. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
8. सी०सी०टी०वी० संचालन की स्थिति के सम्बन्ध में टिप्पणी..... ।
9. विगत पाँच वित्तीय वर्षों में प्लांट स्वामी के द्वारा क्रय-विक्रय किये गये उपखनिज का विवरण:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	प्लांट की स्वीकृत वार्षिक क्रशिंग क्षमता (टन में)	क्रय	विक्रय

10. पूर्व स्वीकृत अवधि में जमा किये गये पर्यावरणीय एवं खनिज सम्पदा शुल्क का विवरण:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत अवधि में प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन में)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा धनराशि (रु०)

11. नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयंत्र (Equipment) में चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति..... ।
12. नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (2) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी० ऊंची है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी ।
13. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
14. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स..... ।

15. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक हो:-

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या:-

1. स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयंत्र (Equipment) में चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति.....
.....।
2. स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी० ऊंची है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी।
3. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी।
4. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होने अथवा न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी।
5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/कन्वेयर बैल्ट आदि को covered shed के अन्दर स्थापित किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी.....।
6. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के हैं अथवा नहीं.....।
7. सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की गयी है अथवा नहीं.....।
8. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टीका का निर्माण किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी।
9. सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्वारे की स्थापना की गयी है अथवा नहीं.....।
10. फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की गयी है अथवा नहीं.....।
11. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित की गयी है अथवा नहीं.....।
12. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish जारी किये जाने की तिथि....
..... तथा अन्तिम Consent to Operate की तिथि.....।
13. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
14. प्लांट संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत लगायी जाने वाली अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध:-

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति:-

(क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिनिधि)
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(जिल खान अधिकारी)
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग।

मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप।
अनुसूची-5

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1- मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:-..... ।

2- मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....

पता-.....

मोबाईल नं०-.....

ई-मेल आईडी-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

जिला.....

तहसील.....

ग्राम.....

खसरा संख्या

क्षेत्रफल.....

4- प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा)

5- प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..... ।

6- आवेदन शुल्क का विवरण :- चालान सं०..... धनराशि..... दिनांक..... ।

7- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....

धनराशि..... वर्ष..... से तक ।

- 8- अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति
- 9-अवधि, जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।
- 10-यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता
- 11- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।
- 12-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।
- 13-यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म /सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रतियाँ या मेमोरैंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति
- 14-आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति
- 15- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
- 16- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति
- 17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति
- 20 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 20- प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।
अनुसूची-6

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,

जिला.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा परिसर में खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1- हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट का नाम:-..... ।

2- हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....

पता-.....

मोबाईल नं०-.....

ई-मेल आईडी-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

जिला.....

तहसील.....

ग्राम.....

खसरा संख्या

क्षेत्रफल.....

4- प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा)

5- प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....

6- आवेदन शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक..... ।

7- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....
धनराशि.....वर्ष.....सेतक ।

8-अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।

- 9- यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता
- 10- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।
- 11-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।
- 12-यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति
- 13-आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति
- 14- अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति
- 15- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
- 16- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति
- 17-आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति
- 20 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....
- 21- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 22- प्लांट में कच्चे/पक्के माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची-7

(06 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- पल्वराईजर प्लांट का नाम:-..... ।
- 2- पल्वराईजर प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....
पता-.....
मोबाईल नं०-.....
ई-मेल आईडी-.....
- 3- आवेदित स्थल का विवरण -
जिला.....
तहसील.....
ग्राम.....
खसरा संख्या
क्षेत्रफल.....
- 4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ।
- 5- प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..... ।
- 6- आवेदन शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक..... ।
- 7- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....
धनराशि.....वर्ष.....सेतक ।
- 8- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।
- 9- यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रियता ।

- 10- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।
- 11- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।
- 12- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ।
- 13- आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 14- आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति..... ।
- 15- प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ।
- 16- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
- 16- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति
- 17- अवैध भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति... .. ।
- 20- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति
- 21 - आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति...
- 22- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 23- प्लांट में कच्चे माल (सोपस्टोन) की आपूर्ति के स्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 24- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं हेतु स्टोन केशर/ स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(अनुसूची-8)

(03 प्रतियों में)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पत्तराइजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट का नाम:-.....।
- 2- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट के आवेदक का नाम:-.....
पता-.....
मोबाईल नं०-.....
ई-मेल आईडी-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

क्र० सं०	ग्राम	तहसील	खाता सं०	ख०सं०	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी

- 4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा)।
- 5- प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....।
- 6- अनुज्ञा शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक.....।
- 7- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।
- 8- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।
- 9- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति।
- 10- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा में परियोजनाओं एवं उनके मध्य हुये अनुबन्ध की प्रति।

- 11- आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति..... ।
- 12- प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ।
- 14- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति ।
- 15- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 16- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 17- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/ नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
- 18- आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....
- 19- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 20- विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण स्थलों/टनलों से निकलने वाले उपखनिज (Muck) में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा, जो राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा लिखित रूप से सूचित किया जायेगा, को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा, को प्रस्तुत किया जायेगा ।
- 21- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं ।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर ।

आज्ञा से,

(आर0 मोनाक्षी सुन्दरम)
सचिव ।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या: 124/VII-A-1/2021/8(16)/19
देहरादून, दिनांक: 19 जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (संशोधन) नीति, 2021

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (संशोधन) नीति, 2021 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

- अध्याय-X का अंतःस्थापन
- उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 में एक नया अध्याय-X निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :-

अध्याय-X. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/ रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की स्वीकृति:-

- स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की स्वीकृति
- उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-II एवं अध्याय-IX को छोड़कर अध्याय-I, अध्याय-III, अध्याय-IV, अध्याय-V, अध्याय-VI, अध्याय-VII व अध्याय-VIII के प्रावधान सामरिक महत्व की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होंगे।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण परियोजना हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट एवं प्लांट परिसर में भण्डारण की स्वीकृतियाँ ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
इस हेतु ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में आवेदन मय शुल्क सहित निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उक्त के संबंध में

निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-9 पर संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त की जायेगी। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तकनीकी समिति निम्नवत् होगी :-

i	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।	सदस्य
vii	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य

उक्त तकनीकी समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को विशेष आमंत्री के रूप में आबद्ध कर सकेगी।

उक्तानुसार गठित समिति द्वारा प्लांट निर्माण तथा प्लांट परिसर में भण्डारण हेतु प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी तथा निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माणाधीन ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन मार्ग के विभिन्न टनलों से निकलने वाले उपखनिज (Muck) में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 के नियम 9 के अनुसार निर्गत स्वीकृति एवं रिवर ट्रेनिंग के अन्तर्गत प्राप्त अनुज्ञप्ति में स्वीकृत मात्रा को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा।

हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट हेतु ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटों से तैयार माल स्रोत (Source of Material) के रूप में मान्य होगा।

प्लांटों में, अनुमत प्राप्त स्रोतों से उपखनिजों की प्राप्ति के समय स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्टोन क्रेशर हेतु ₹ 1.00 प्रति कुन्तल तथा स्क्रीनिंग

प्लांट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट हेतु ₹ 0.50 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा स्वीकृत प्लांटों का पंजीकरण विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य होगा।

- अनुज्ञा देने हेतु शर्तें
2. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग (Boundary wall)/Covered Fencing) के अन्दर स्थापित करेगा।
- (2) स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएं। कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
- (3) (क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु ऐसा संयंत्र स्थापित करना होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
- (ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी को ऐसा संयंत्र स्थापित करना होगा, जो Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के निम्न प्रावधानानुसार निर्धारित मानकों निम्न मानकानुसार हो :-

Ambient air quality standards in respect of Noise

Area code	Category of Area/ Zone	Limits in db(A) Leq	
		Day Time	Night Time
(A)	Industrial Area	75	70
(B)	Commercial Area	65	55
(C)	Residential Area	55	45
(D)	Silence Area	50	40

Note -

Day time shall mean time from 6.00 a.m. to 10.00 p.m.

Night time shall mean time from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

- (ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
- (4) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
- (5) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़ें।
- (6) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

[Handwritten signature]

- (7) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (8) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्वारे की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
- (9) फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
- (10) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्कबिंग की जाये। स्कबिंग में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।
- (11) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व Consent to operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
- (12) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रख्यापित आदेशों/ अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (13) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों में धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों पर लागू हैं।
- (14) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

l

आज्ञा से,

Mishra

(डा० मेहरबाम सिंह बिष्ट)
अपर सचिव

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अधीन नये स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट का नाम:-.....
.....।
- 2- स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के आवेदक का नाम:-.....
पता:-.....
मोबाईल नं०-.....
ई-मेल आईडी-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

क्र०सं०	ग्राम	तहसील	खाता सं०	ख०सं०	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी

- 4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा)
- 5- प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....।
- 6- अनुज्ञा शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक.....।
- 7- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।
- 8- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।
- 9- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति
- 10- आर०बी०एन०एल० का अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा में आर०बी०एन०एल० के मध्य हुये अनुबन्ध की प्रति

- 11- आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति..... ।
- 12- प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ।
- 14- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति ।
- 15- आर0बी0एन0एल0 का अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 16- आर0बी0एन0एल0 का अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 17- आर0बी0एन0एल0 का अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्डशपथ पत्र की प्रति ।
- 18- आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....
- 19- आर0बी0एन0एल0/अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 20- विभिन्न टनलों से निकलने वाले उपखनिज (Muck) में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा, जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा लिखित रूप से सूचित किया जायेगा, को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा, को प्रस्तुत किया जायेगा।
- 21- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....



आवेदक के हस्ताक्षर।

- 1- स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम:-.....

- 2- स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदक का नाम:-.....

 पता-.....
 मोबाईल नं०-.....
 ई-मेल आईडी-.....
- 3- स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक..... ।

4- प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का विवरण:-

क्र०सं०	ग्राम	तहसील	खाता सं०	ख०सं०	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (हे० मे)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी

- 5- भूस्वामियों द्वारा आवेदक के पक्ष में अनापत्ति के सम्बन्ध में दिये गये किरायानामा/शपथ पत्र की मौके पर जाँच/सत्यापन सम्बन्धी टिप्पणी.....
- 6- प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा)
- 7- प्रस्तावित स्थल के मध्य भाग के अंक्षांश व देशान्तर.....
- 8- प्रस्तावित प्लांट हेतु कच्चे माल के स्रोत के सम्बन्ध में (रेलवे विकास निगम द्वारा) टिप्पणी.....

- 9- प्लांट की कच्चे माल के स्रोत से दूरी.....
- 10- प्लांट से निकलने वाले उपखनिज का End use (with product size).....
- 11- प्रस्तावित स्थल पर भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (एक समय पर).....
- 12- प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय संरचना के साथ स्थल के स्थायित्व के सम्बन्ध में टिप्पणी.....

- 13- डम्पिंग साईट का विवरण..... ।
- 14- Bore Hole Log का विवरण..... ।
- 15- प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी..... ।

(Handwritten signature)

16- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।

17- शर्त :-

स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति:-

अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।
(सदस्य)

क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
(सदस्य)

संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित
अपर जिलाधिकारी
(सदस्य)

प्रमुख वन संरक्षक (HOFF),
उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में
पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का
अधिकारी
(सदस्य)


प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित
मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण
अभियन्ता स्तर का अधिकारी
(सदस्य)

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में
पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर
का अधिकारी (सदस्य)

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर
निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के
अधिकारी (संयोजक)


M

Green Wall Belt 756








Green belt



Green belt

New Ramnagar Stone Crusher




Partner



Green Belt New Ramnagar Stone Crusher
DUSTING PLANT

Partner
Partner

760




10 feet Height of Wind Breaking Wall

New Ramnagar Stone Crusher

Partner

761



79



**This is the proof of material stock height
Less than the Wind breaking wall**



20 feet DG sets Height



19 feet DG sets Height



Tineset for air pollution control

New Ramnagar Stone Crusher

Partner



Tineset for air pollution control



This is the Operation of the Air Pollution Control System

New Ramnagar Stone Crusher

AK
Partner



R.C.C Road

Recycle tank waste water re-use

768

86





R.C.C Road



The proof of air pollution control system (Dusting Plant)

1411 20-09-2019

771 खण्ड जल संस्थान

जल मूल्य/सीवर सीट एवं विच्छेदन नोटिस



89

बिल संख्या 2019/01/4654156
 उपभोक्ता संख्या RNI9RAR02R74DI174654156
 मांग संख्या CL-1055/1

जल संचय जीवन संचय
 Ramnagar Rural

नाम मनीषा सचदेवा / मनोज सचदेवा
 पता शिवजानपुर दिवुनिया /
 रामनगर

विभागीय वेबसाईट : <http://ujs.uk.gov.in>

प्रत्येक बीजक का भुगतान देय तिथि तक अनवरत कर दें अन्यथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुसूचन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा-72 (क) (ख) के अन्तर्गत बिल में दरांगी गयी विच्छेदन अथवा उसके पर्याप्त बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है।

शिकायत निवारण केन्द्र टोल फ्री नं० 1800 180 4100

B&C FORMS D.DUN.PH.2724413.14

योजना का नाम	संयोजन की श्रेणी	वितरण तिथि	बिल की अवधि			बिल जमा करने की अंतिम तिथि	विच्छेदन तिथि
			से	तक	माह		
संयोजन की श्रेणी Low Head/NDI/LS		03-03-2023	01 / 2023	03 / 2023	3	27-03-2023	31-03-2023
बिलिंग का प्रकार	वर्षिक मूल्यांकन दर प्रतिमाह	टॉटी की संख्या/ दर प्रतिमाह	सीवर संयोजन/शीट संख्या दर प्रतिमाह	वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपयुक्त जल (कुल रीडिंग)/ प्रतिमाह	अग्रिम
						10000	69.00
विवरण	वर्तमान मांग	मीटर किराया	बकाया	पूर्ण योग	छूट/अग्रिम	बिलम्ब शुल्क	शुद्ध राशि
जल मूल्य	2,115.00		6,345.00	8,460.00			
सीवर सीट							
डिस्आनर्ड चैक शुल्क							
अन्य देय							
पूर्ण योग	2,115.00		6,345.00	8,460.00	74.00 / 69.00	373.00	8,690.00

नोट : न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमत्य नहीं होगी। अर्थात् 10,000 ली० अधिकतम प्रतिमाह पेय जल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10% की छूट अनुमत्य होगी। देयक का भुगतान नहीं करने की स्थिति में विलम्ब अवधि के लिए 1.5%मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। आई०डी०बी० आई बैंक में भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

(राशियों के लिए कृपया पीछे देखिए)

राजस्व अधीक्षक/बिल लिपिक

अधीशासी अभियन्ता/जलकल अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता

उत्तराखण्ड जल संस्थान

New Ramnagar Stone Crusher (Log Book OF Water Meter)

90

772

Date	Moter Running Hours	Previous Reading	Crrrent Reading	Water Consumption in KL	Plant Running Hours	Op. Signature	Remark
01-Oct-22	3.00	0	2.5	2.5	5.40		
02-Oct-22	2.40	2.5	4	1.5	4.50		
03-Oct-22	3.00	4	6.5	2.5	7.00		
04-Oct-22	2.00	6.5	7.5	1	6.00		
05-Oct-22	3.30	7.5	9.6	2.1	6.30		
06-Oct-22	3.00	9.6	12	2.4	6.40		
07-Oct-22	2.50	12	13.7	1.7	5.00		
08-Oct-22	0.00	13.7	13.7	0	0.00		Reason Of Rain
09-Oct-22	0.00	13.7	13.7	0	0.00		Reason Of Rain
10-Oct-22	0.00	13.7	13.7	0	0.00		Reason Of Rain
11-Oct-22	2.50	13.7	15.3	1.6	5.30		
12-Oct-22	2.50	15.3	15.3	0	6.40		Meter Stop
13-Oct-22	2.40	15.3	15.3	0	6.00		Meter Stop
14-Oct-22	3.10	15.3	15.3	0	5.30		Meter Stop
15-Oct-22	2.40	0	2	2	6.00		Meter Change
16-Oct-22	2.20	2	3.4	1.4	6.20		
17-Oct-22	2.30	3.4	5	1.6	5.40		
18-Oct-22	2.10	5	6.2	1.2	6.30		
19-Oct-22	3.00	6.2	7.6	1.4	5.20		
20-Oct-22	2.20	7.6	8.8	1.2	4.50		
21-Oct-22	1.20	8.8	9.9	1.1	6.00		
22-Oct-22	1.10	9.9	10.5	0.6	5.20		
23-Oct-22	00.30	10.5	10.5	0	6.20		Water Problem
24-Oct-22	1.00	10.5	11.7	1.2	5.50		
25-Oct-22	00.30	11.7	12.4	0.7	6.20		
26-Oct-22	1.00	12.4	13.2	0.8	5.45		
27-Oct-22	00.30	13.2	13.2	0	4.20		Water Problem
28-Oct-22	1.00	13.2	13.8	0.6	6.00		
29-Oct-22	00.35	13.8	13.8	0	6.10		Water Problem
30-Oct-22	2.35	13.8	15.4	1.6	6.20		
31-Oct-22	3.00	15.4	17.7	2.3	6.30		

Signature

NEW RAMNAGAR STONE CRUSHER
 RAILWAY YARD
 RAMNAGAR 244715 (NTL.)

New Ramnagar Stone Crusher (Log Book OF Water Meter)

773

Date	Moter Running Hours	Initial Reading	Final Reading	Water Consumption in KL	Plant Running Hours	Op. Signature	91 Remark
01-Nov-22	1.20	17.7	18.7	1	6.20		
02-Nov-22	3.05	18.7	20	1.3	5.40		
03-Nov-22	2.20	20	21.2	1.2	4.80		
04-Nov-22	2.30	21.2	22.5	1.3	6.20		
05-Nov-22	3.45	22.5	24.5	2	6.00		
06-Nov-22	2.20	24.5	25.7	1.2	5.30		
07-Nov-22	1.50	25.7	26.9	1.2	4.00		
08-Nov-22	0.40	26.9	27.5	0.6	5.30		
09-Nov-22	1.36	27.5	28.6	1.1	4.40		
10-Nov-22	0.48	28.6	29.5	0.9	3.00		
11-Nov-22	2.05	29.5	30.6	1.1	5.20		
12-Nov-22	0.50	30.6	31.5	0.9	5.10		
13-Nov-22	0.15	31.5	31.5	0	4.20		Water Problem
14-Nov-22	2.10	31.5	32.6	1.1	5.00		
15-Nov-22	2.40	32.6	33.9	1.3	4.30		
16-Nov-22	2.26	33.9	35.1	1.2	5.13		
17-Nov-22	2.48	35.1	36.5	1.4	6.00		
18-Nov-22	2.36	36.5	37.7	1.2	5.35		
19-Nov-22	3.20	37.7	39.2	1.5	4.30		
20-Nov-22	2.10	39.2	40.3	1.1	4.00		
21-Nov-22	2.50	40.3	41.5	1.2	5.40		
22-Nov-22	2.55	41.5	43	1.5	4.55		
23-Nov-22	2.35	43	44.5	1.5	5.40		
24-Nov-22	0.30	44.5	45.3	0.8	5.00		Water Problem
25-Nov-22	2.10	45.3	46.5	1.2	4.50		
26-Nov-22	2.00	46.5	47.5	1	5.10		
27-Nov-22	2.40	47.5	48.6	1.1	5.40		
28-Nov-22	2.35	48.6	49.8	1.2	4.20		
29-Nov-22	2.45	49.8	51.1	1.3	4.50		
30-Nov-22	1.30	51.1	52	0.9	5.20		
Total							


NEW RAMNAGAR STONE CRUSHER
RAILWAY YARD
 ...

New Ramnagar Stone Crusher (Log Book OF Water Meter)

Date	Moter Running Hours	Initial Reading	Final Reading	Water Consumption in KL	Plant Running Hours	Op. Signature	92 Remark
01-Dec-22	2.10	52	53.1	1.1	6.20		
02-Dec-22	3.00	53.1	55	1.9	5.40		
03-Dec-22	0.10	55	55	0	4.80		Water Problem
04-Dec-22	0.40	55	55	0	6.20		Water Problem
05-Dec-22	2.10	55	55.2	0.2	6.00		Water Problem
06-Dec-22	2.40	55.2	56.3	1.1	5.30		
07-Dec-22	2.10	56.3	57.4	1.1	4.00		
08-Dec-22	0.30	57.4	57.4	0	5.30		Water problem
09-Dec-22	0.20	57.4	57.4	0	4.40		Water problem
10-Dec-22	1.20	57.4	58.2	0.8	3.00		
11-Dec-22	2.10	58.2	59.5	1.3	5.20		
12-Dec-22	0.20	59.5	59.5	0	5.10		Water Problem
13-Dec-22	1.00	59.5	60.1	0.6	4.20		
14-Dec-22	3.00	60.1	61.5	1.4	5.00		
15-Dec-22	3.30	61.5	63	1.5	4.30		
16-Dec-22	2.20	63	64.4	1.4	5.13		
17-Dec-22	3.20	64.4	66.2	1.8	6.00		
18-Dec-22	2.40	66.2	67.5	1.3	5.35		
19-Dec-22	3.10	67.5	69	1.5	4.30		
20-Dec-22	2.20	69	70.6	1.6	4.00		
21-Dec-22	3.10	70.6	72	1.4	5.40		
22-Dec-22	3.10	72	73.5	1.5	4.55		
23-Dec-22	3.20	73.5	75.2	1.7	5.40		
24-Dec-22	2.50	75.2	76.5	1.3	5.00		
25-Dec-22	4.00	76.5	78.6	2.1	4.50		
26-Dec-22	3.05	78.6	80.1	1.5	5.10		
27-Dec-22	2.50	80.1	81.5	1.4	5.40		
28-Dec-22	3.40	81.5	83.2	1.7	4.20		
29-Dec-22	2.20	83.2	84.4	1.2	4.50		
30-Dec-22	3.40	84.4	85.9	1.5	5.20		
31-Dec-22	3.10	85.9	87.2	1.3	5.20		
Total							

NEW RAMNAGAR STONE CRUSHER
RAILWAY YARD
24/15 (NTL)

New Ramnagar Stone Crusher (Log Book OF Water Meter)

93

Date	Motor Running Hours	Initial Reading	Final Reading	Water Consumption in KL	Plant Running Hours	Op. Signature	Remark
01-Jan-23	3.20	87.2	88.8	1.6	5.30		
02-Jan-23	2.30	88.8	90.1	1.3	6.20		
03-Jan-23	3.10	90.1	91.5	1.4	5.20		
04-Jan-23	2.40	91.5	92.7	1.2	6.20		
05-Jan-23	3.10	92.7	94.2	1.5	6.30		
06-Jan-23	2.11	94.2	95.8	1.6	5.40		
07-Jan-23	1.46	95.8	97	1.2	6.10		
08-Jan-23	3.00	97	98.5	1.5	5.46		
09-Jan-23	2.40	98.5	100.1	1.6	6.15		
10-Jan-23	3.40	100.1	102	1.9	5.40		
11-Jan-23	0.00	102	102	0	4.30		Water Problem
12-Jan-23	2.20	102	103.2	1.2	5.40		
13-Jan-23	3.10	103.2	104.6	1.4	7.00		
14-Jan-23	4.00	104.6	106.5	1.9	6.40		
15-Jan-23	3.20	106.5	107.8	1.3	6.20		
16-Jan-23	2.40	107.8	109.4	1.6	6.30		
17-Jan-23	3.10	109.4	111.2	1.8	5.50		
18-Jan-23	2.55	111.2	112.8	1.6	6.30		
19-Jan-23	3.05	112.8	114.5	1.7	6.10		
20-Jan-23	3.40	114.5	116.3	1.8	5.40		
21-Jan-23	2.40	116.3	118.5	2.2	5.00		
22-Jan-23	2.30	118.5	119.8	1.3	4.50		
23-Jan-23	3.00	119.8	121.3	1.5	6.20		
24-Jan-23	2.30	121.3	122.5	1.2	6.10		
25-Jan-23	3.20	122.5	124.2	1.7	5.40		
26-Jan-23	2.45	124.2	125.8	1.6	5.40		
27-Jan-23	3.10	125.8	127.6	1.8	6.20		
28-Jan-23	3.30	127.6	129.5	1.9	5.40		
29-Jan-23	3.40	129.5	131.6	2.1	5.60		
30-Jan-23	2.50	131.6	133.5	1.9	6.10		
31-Jan-23	3.20	133.5	135.2	1.7	6.30		
Total							

NEW RAMNAGAR STONE CRUSHER
RAILWAY YARD
MUMBAI 401 244/15 (NTL)

New Ramnagar Stone Crusher (Log Book OF Water Meter)

Date	Moter Running Hours	Initial Reading	Final Reading	Water Consumption in KL	Plant Running Hours	Op. Signature	Remark
01-Feb-23	4.00	129.5	131.2	1.7	6.00		Meter stop
02-Feb-23	5.30	0	2.5	2.5	5.40		Meter Change
03-Feb-23	3.50	2.5	4	1.5	6.30		
04-Feb-23	4.55	4	6.4	2.4	6.10		
05-Feb-23	5.40	6.4	9	2.6	5.40		
06-Feb-23	4.45	9	11.6	2.6	5.30		
07-Feb-23	3.40	11.6	13.5	1.9	6.40		
08-Feb-23	3.30	13.5	15.2	1.7	6.30		
09-Feb-23	2.50	15.2	16.6	1.4	6.50		
10-Feb-23	4.50	16.6	18.9	2.3	7.00		
11-Feb-23	5.10	18.9	21.2	2.3	6.00		
12-Feb-23	4.30	21.2	23.8	2.6	6.20		
13-Feb-23	5.30	23.8	25.8	2	7.00		
14-Feb-23	3.30	25.8	27.3	1.5	6.40		
15-Feb-23	5.00	27.3	30.1	2.8	5.30		
16-Feb-23	4.20	30.1	32.1	2	6.20		
17-Feb-23	3.30	32.1	33.6	1.5	5.40		
18-Feb-23	4.20	33.6	36.2	2.6	6.10		
19-Feb-23	3.40	36.2	39.2	3	6.30		
20-Feb-23	4.10	39.2	41.2	2	5.50		
21-Feb-23	4.30	41.2	43.5	2.3	6.30		
22-Feb-23	3.30	43.5	46.1	2.6	6.10		
23-Feb-23	3.40	46.1	48.4	2.3	6.40		
24-Feb-23	4.30	48.4	51.2	2.8	5.40		
25-Feb-23	5.10	51.2	54	2.8	6.00		
26-Feb-23	4.50	54	56.1	2.1	6.30		
27-Feb-23	3.35	56.1	58	1.9	6.50		
28-Feb-23	3.45	58	60.1	2.1	7.00		
Total							

NEW RAMNAGAR STONE CRUSHER
RAILWAY YARD
DUMKES